

# PRESS - RELEASE

## जिला सवाई माधोपुर

शुक्रवार

दिनांक :- 22.09.2017

### शांति भंग करने के 03 आरोपी गिरफ्तार :-

रायसिंह स0उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी स0मा0 ने . अनिल उर्फ बैल्डर पुत्र देवीलाल जाति राजपूत निवासी वीरजी की बगीची गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

इसी प्रकार विनोद कुमार उर्फ नि0 थाना रवाजना डूंगर ने हनुमान पुत्र मोती लाल जाति वैरवा निवासी सवाई गंज थाना रवाजना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

इसी प्रकार कमल प्रसाद स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री शानू उर्फ सुहेल खान पुत्र श्री हिर्जुरहमान खान जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी आदर्श नगर बी थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

### 02 स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

रूपसिंह स0उ0नि0 थाना मलारना डूंगर स0मा0 ने फरार स्थायी वारंटी श्री राजेन्द्र पुत्र बदरी जाति बैरवा निवासी चकरी थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अति0न्यायिक मजि0 स0मा0 के द्वारा केस नं0 541/09 में स्थायी वारंट जारी किया गया

इसी प्रकार फहद अहमद कानि0 थाना गंगापुरसिटी ने वासु उर्फ याकूब पुत्र रसीद खा जाति मुसलमान निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एससीएटी कोर्ट स0मा0 के द्वारा केस नं0 22/13 धारा 323,341,354,504,351 ता0हि0 व 3 एससीएटी एक्ट में स्थायी वारंट जारी किया गया ।

### 01 वारंटी गिरफ्तार :-

वीर सिंह हैड कानि 37 थाना मानटाउन ने फरार वारंटी श्री हरिनारायण पुत्र श्री श्रवण लाल जाति रेगर उम्र 64 साल निवासी पचीपल्या थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम. साहब सवाई माधोपुर द्वारा कोर्ट केश न0 352/17 धारा 379,411 ता0हि0 में कुर्की वारंट जारी किया गया था ।

### जुआ खेलते 07 आरोपी गिरफ्तार:-

शिवलाल हैडकानि 13 थाना बाटोदा स0मा0 ने .मानसिंह पुत्र श्री रामश्री जाति खालवाल उम्र 30 साल नरसी पुत्र रगलाल उम्र 30 साल . बनैसिंह पुत्र रूपनारायण उम्र 42 साल निवासीयान बैराडा थाना बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1050 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 145/17 दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार प्रेमप्रकाश हैड कानि 322 थाना बाटोदा स0मा0 ने .बाबूलाल पुत्र जगनलाल . गोरधन पुत्र भगवती निवासीयान बिन्जारी थाना बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1070 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 146/17 दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार हनुमान प्रसाद हैड कानि. 10 थाना बाटोदा स0मा0 ने रामकिशन पुत्र पन्नालाल, भगवान सहाय पुत्र भंगोल्यालाल निवासीयान बिन्जारी थाना बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1060 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 147/17 दर्ज किया गया ।

### सट्टे की खाईवाली करते हुये 03आरोपी गिरफ्तार :-

कमल प्रसाद स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने रामवीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री लटूर जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी तिलक नगर नीमली रोड थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर को जामा मस्जिद के सामने बजरिया से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन व 1625 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 329/17 दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार रामवतार शर्मा स0उ0नि0 थाना मानटाउन स0मा0 ने सुनिल पुत्र सियाराम जाति मीना उम्र 27 साल नि0 जीनापुर थाना कोतवाली स0मा0 को आशा होटल के सामने टीन शेड के नीचे बजरिया से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन व 2800 रूपयें के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 330/17 दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार प्रकाश चन्द स0उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी स0मा0 ने अनिल उर्फ बैल्डर पुत्र देवीलाल जाति राजपूर निवासी वीरजी की बगीची गंगापुर सिटी को जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण व 720 रूपयें के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 636/17 दर्ज किया गया ।

## शराब पीकर वाहन चलाते 07 आरोपी गिरफ्तार :-

गजानन्द उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने कन्हैयालाल पुत्र पांचूलाल रैगर उम्र 50 साल निवासी रैगर मोहल्ला शहर स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार केशरलाल स0उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने श्री शाहिद पुत्र मजीद उम्र 27 साल निवासी हम्माल मो0 शहर स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार साबिर स0उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने श्री लटूर पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 43 साल निवासी सवाई गंज स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार हरभान सिंह उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने ओमप्रकाश पुत्र श्री रामस्वरूप रैगर उम्र 27 साल निवासी दोदरी थाना मानटाउन स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार विनोद कुमार पारोक उ0नि0 थाना रवाजना डूगर स0मा0 ने श्री मोती लाल पुत्र रामदेवा उम्र 45 साल जाति वैरवा निवासी वलवन खुदं थाना रवाजना डूगर, श्रीमुकेश पुत्र लक्ष्मण उम्र 32 साल जाति मीना निवासी मुई थाना रवाजना डूगर, श्री वनवारा पुत्र रामनाथ उम्र 28 जाति वैरवा निवासी रवाजना चोड थाना रवाजना डूगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

## तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के 05 आरोपी गिरफ्तार :-

लक्ष्मण हैड कानि0 354 थाना कोतवाली ने रामराज पुत्र कन्हैयालाल मीना उम्र 42 साल निवासी खिरखडी थाना रवाजना डूगर को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना कोतवाली पर मु0न0 536/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार संदीप हैड कानि0 394 थाना कोतवाली ने श्री चौथमल पुत्र गिरधारी लाल नाथ उम्र 28 साल निवासी रामसिंहपुरा को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना कोतवाली पर मु0न0 537/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार सुन्दर लाल उ0नि0 थाना कोतवाली ने श्री हरिसिंह पुत्र जगराम मीना उम्र 22 साल निवासी दोबडा कला थाना सूरवाल को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना कोतवाली पर मु0न0 538/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार हरिलाल हैडकानि0 337 थाना रवाजना डूगर ने मुकेश पुत्र लड्डू लाल धोवी उम्र 21 साल निवासी लहसोड थाना रवाजना डूगर को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना रवाजना डूगर पर मु0न0 165/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर मय एक मेमोरा काड पेन ड्राईव एक मशीन यूएसवी प्लेयर के गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार बालकृष्ण उ0नि0 थाना बौली ने मुकुट पुत्र सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी डिडवाडी थाना बौली को तेज आवाज में डैक मशीन चलाने के आरोप में थाना बौली पर मु0न0 165/17 धारा 4/6 RNC Act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

## दर्ज मुकदमात का 01 आरोपी गिरफ्तार :-

पूरण सिंह पु0नि0 थानाधिकारी खण्डार ने दर्ज मुकदमें में वांछित आरोपी उत्तम सिंह पुत्र श्री टीकम सिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी सेवला बस स्टैण्ड गांव कबूलपुर थाना मनपुरा जिला आगरा यू0पी0 हाल बापूनगर कालोनी खेरदा थाना मानटाउन स0मा0 को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री रामस्वरूप पुत्र किशन माली निवासी छातर कोलोनी खण्डार ने दिनांक 11.06.2017 को मु0न0:-107/17 धारा 363,366 ताहि व 17/18 पोक्सो एक्ट में थाना खण्डार पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

## शराब पीकर उत्पात मचाते 04 आरोपी गिरफ्तार :-

गजानन्द उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने श्री सूरज पुत्र बाला हरिजन उम्र 30 साल निवासी हरिजन बस्ती शहर स0मा0, श्री अ0रहमान पुत्र श्री फेज मोहममद उम्र 40 साल निवासी सोरती बाजार शहर स0मा0, श्री मोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल महावर उम्र 42 साल निवासी नीम चोकी शहर स0मा0 को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार हरभान सिंह उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने श्री मुकेश पुत्र श्री गजानन्द गुर्जर उम्र 33 साल निवासी नीमली खुर्द को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब बेचते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

अंजली अजीत जोरवाल आरपीएस प्रोवेशनर गंगापुर सिटी ने श्री मिट्टू पुत्र कुन्दन जाति जाटव उम्र 55 साल निवासी हिण्डौन पुलिया जाटव बस्ती गंगापुर सिटी को अवैध शराब बेचने के आरोप में मय 126 पब्ले देशी अग्रेजी शराब व 10 बोतल बीयर के गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 634/17 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में थाना गंगापुर सिटी पर दर्ज किया गया।

## ट्रान्सफार्मर चोरी का आरोपी गिरफ्तार

वीरसिंह हैड कानि0 थाना मानटाउन ने श्री शराफत पुत्र मुनीम उम्र 21 साल जाति मुसलमान निवासी मखौली थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को ट्रान्सफार्मर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिससे चोरी किया गया ट्रान्सफार्मर भी बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध धीरज कुमार पुत्र रामअवतार जाति धोबी जेवीवीएनएलन जयपुर लिमिटेड हाल सहायक अभियंता स0मा ने दिनांक 21.09.2017 को मु0न0:-331/17 धारा 136 विद्युत अधिनियम में थाना मानटाउन पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।